



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पंप) के लिए भूमि की आवश्यकता

निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में निम्नलिखित लोकेशनों पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहाँ आगे आईओसीएल कहा गया है) को एकमुश्त बिक्री / पट्टे / त्रिपक्षीय- उप पट्टा (पट्टा / त्रिपक्षीय- उप पट्टा के लिए नवीनीकरण विकल्प के साथ न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह) द्वारा भूखंड हस्तांतरण हेतु यह विज्ञापन जारी होने की तारीख से पूर्व अपने पास भूमि का विधिमाला-य और स्पष्ट बिक्री योग्य हक रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो बोली प्रणाली अर्थात् (क) तकनीकी निविदा और (ख) वित्तीय निविदा में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित हैं:

क्रम संख्या	मंडलीय कार्यालय	जिला	स्थान	प्लॉट की न्यूनतम फ़ॉर्मेट (मीटर में)	प्लॉट की न्यूनतम गहराना (मीटर में)	प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	आगरा	हाथरस	नगला रामपुर छटोल, तहसील सिकंदराराओं, जिला हाथरस	35	35	1225
2	आगरा	झटावा	लखना	35	35	1225
3	आगरा	आगरा	रसूलपुर	35	35	1225
4	आगरा	फर्रुखाबाद	किलोमीटर स्टोन 550-552 के मध्य एस एच-29	35	35	1225
5	आगरा	मैनपुरी	ग्राम नानामऊ, तहसील एवं जिला मैनपुरी	35	35	1225
6	आगरा	हाथरस	किलोमीटर स्टोन 169-172 के मध्य, एन एच-91 पर जीटी रोड, जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश)	35	35	1225
7	आगरा	मथुरा	किलोमीटर स्टोन 3-8 के मध्य मथुरा गोवर्धन रोड पर, जिला मथुरा	35	35	1225
8	आगरा	आगरा	मुड़ी चौराहा	35	35	1225
9	देहारादून	देहारादून	राजपुर रोड	20	20	400
10	देहारादून	नैनीताल	गरमपानी	20	20	400
11	देहारादून	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	20	20	400
12	देहारादून	हरिद्वार	लक्ष्मीर	30	30	900
13	देहारादून	हरिद्वार	शिवालिक नगर, बादराबाद रोड	30	30	900
14	देहारादून	देहारादून	चकराता रोड, बल्लुपुर चौक एवं क्लॉक टावर के मध्य, देहारादून शहर	20	20	400
15	देहारादून	देहारादून	रायपुर	20	20	400
16	मुरादाबाद	मुरादाबाद	गागन ब्रिज से जीरो पॉइंट (मंगूपुरा) मुरादाबाद दिल्ली रोड पर	35	35	1225
17	मुरादाबाद	बिजनोर	हीमपुर दीपा (2 किलोमीटर के अंदर बिजनोर की ओर)	35	35	1225
18	मुरादाबाद	बिजनोर	नजीबाबाद	35	35	1225
19	नोएडा	मेरठ	मेरठ से मवाना रोड, (एन एच-119), किलोमीटर स्टोन 13 एवं 18 के मध्य दार्यों ओर	35	35	1225
20	नोएडा	गाजियाबाद	अरथला एन एच 58 पर	35	35	1225
21	नोएडा	मेरठ	बागपत रोड (बागपत तिराहा एवं रेलवे पलाइओवर के मध्य)	35	35	1225
22	नोएडा	गाजियाबाद	भोपुरा, गाजियाबाद शहर	30	30	900
23	नोएडा	गाजियाबाद	हिंडन एयर फोर्स स्टेशन एवं एन एच 58 / मोहननगर रोड को जोड़ती हुई रोड पर (वाया करेडा)	30	30	900
24	नोएडा	बुलंदशहर	नराउ	35	35	1225

कृपया निम्नलिखित सूचना नोट करें:

- यह विज्ञापन रिटेल आउटलेटों के लिए केवल उचित भूमि की खरीद के लिए है और रिटेल आउटलेट डीलरशिप की नियुक्ति या अपनी भूमि का प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई हित जैसे भागीदारी या कमीशन आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तुत भूमि MORTH, भारत सरकार द्वारा जारी, परिपत्र RW-NH-33032/01/2017-S&R (R) दिनांक 26.06.2020 और इसके संशोधनों (यदि हो) / एनएचएआई आदि द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों पर प्रस्तुत भूमि, प्रमुख संचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र संख्या - 1822/23-12-19-1365/17 टी सी लोक निर्माण विभाग अनुभाग-12 दिनांक 04.12.2019 और उसके संशोधनों (यदि हों) / उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा जारी नवीनतम दिशा - निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- नगर निगम सीमाओं, छोटे आकार वाले भूखंड भी विचारणीय होंगे, बशर्ते वे आधुनिक रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उचित हों।
- भूखंड का फ्रंट विज्ञापन के अनुसार भूखंड तक समुचित एप्रोच रोड के साथ राजमार्ग / मुख्य रोड / अन्य रोड से सटा होना चाहिए।
- निवादाकार को सभी सांविधिक मंजूरियाँ जैसे शहरी भूमि सीलिंग, गैर-कृषि परिवर्तन, आयकर मंजूरी, भार-रहितता प्रमाणपत्र की व्यवस्था करनी होगी।
- भूमि वरीयता रूप में समतल, कम से कम रोड लेवल तक, एक सन्निहित भूखंड में होनी चाहिए।
- भूमि ओवरहैंड हाई टेंशन पॉवर लाइन, उत्पाद / पानी पाइपलाइन / नहर / नालियाँ / नालों / सार्वजनिक रोड, रेल लाइन आदि से मुक्त होनी चाहिए।
- भूमि का प्रस्ताव करने वाले किसी भूखंड की खरीद भी विचारणीय होनी चाहिए। इसके लिए विधिवत नोटरीकृत आवश्यक दस्तावेज (हल्फनामा) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाएं।
- यदि किसी लोकेशन के लिए एक से अधिक भूमि की खरीद भी की जा सकती है।
- यदि आवारहैंड हाई टेंशन पॉवर लाइन, उत्पाद / पानी पाइपलाइन / नहर / नालियाँ / नालों / सार्वजनिक रोड, रेल लाइन आदि से समर्त रखने वाले भूखंड रखने वाले मालिकों का समूह एक पंजीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी धारक के माध्यम से कोट कर सकते हैं। विधिवत पृष्ठांकित प्रत्येक मालिक से अपेक्षित पॉवर ऑफ अटार्नी की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाए।
- कृषि भूमि का प्रस्ताव कर करहे व्यक्तियों को इसे अपने स्वयं के व्यायों और लागत पर गैर-कृषि, खासकर रिटेल आउटलेट / बुनियादी सुविधा और अन्य सम्बद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु वाणिज्यिक परिवर्तन करना होगा।
- एक आवेदक विज्ञापित एक लोकेशन या अधिक लोकेशनों पर एक या अधिक साइटों के लिए आवेदन कर सकता है।
- जिला प्राधिकरण और अन्य सरकारी निकाय / सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भी इस विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं।
- व्यक्ति, कोई संरक्षण या अधिकारी भूमि का समर्त खंड एक मालिक का नहीं होगा तो एक दूसरे के सन्निकट और आईओसीएल की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भूखंड रखने वाले मालिकों का समूह एक पंजीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी धारक के माध्यम से कोट कर सकते हैं।
- विधिवत पृष्ठांकित प्रत्येक मालिक से अपेक्षित पॉवर ऑफ अटार्नी की विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों सहित, तकनीकी निविदा में जमा किए जाएं।
- आईओसीएल द्वारा यथाअनुमानित, निम्नलिखित अतिरिक्त लागत भी निवादाओं के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए विचारित होगी (i) प्रस्ताव की गई साइट को रोड स्टर तक लाने के लिए प्रवेश / निकाय के विकास के लिए लागत के साथ-साथ स्टेनिंग वाल / हमे पाइप आदि की लागत सहित भूमि के भराव / एकीकरण / कटिंग की लागत (ii) अन्य भौतिक पैरामीटर जैसे फोन / बिजली लाइनों की शिपिंग / टेलिफोन लगाने की लागत।
- विक्री विलेख पंजीकरण के समय भुगतान चैक / एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा और पट्टे / उप-पट्टे के लिए मासिक भाड़े के मामले में आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए भूमि मालिक(ओं) के पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि अपेक्षित होंगे।
- ब्रोकरों / संपत्ति डीलरों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- डाक / कोरियर द्वारा भेजे दस्तावेजों में लिंबं, खोने या प्राप्त नहीं होने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिमेदारी नहीं होगी। प्राप्त कोटशन के लिए उपर्युक्त अपेक्षित विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार करने वाले योग्य होंगे।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिना कोई पूर्ण सूचना दिए अपने विवेक से विज्ञापन के बाद परिवर्तन / संशोधन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन / संशोधन / बदलाव के लिए उपर्युक्त विवरणों के लिए विज्ञापन के विरुद्ध कराये जायेंगे।
- किसी विवाद की अवस्था में इस विज्ञापन का अंग्रेजी भाषा का संस्करण अंतिम होगा।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिना कोई योग्य विवेक से विज्ञापन के बाद परिवर्तन / संशोधन करने का अधिकार होगा।

प्रस्ताव दो बोली प्रणाली में निम्नवत् जमा किए जाएं:

(A) तकनीकी निविदा: प्रस्ताव की गई भूमि के भूखंड का विवरण, विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों सहित, तकनीकी निविदा में जमा किए जाएं। तकनीकी निविदा में प्रस्ताव मूल्य / भूमि की कीमत का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। निवादाकार द्वारा निम्नलिखित व्यौरा प्रस्तुत किया जाए:

- भूमि मालिक(ओं) / पट्टा धारक(ओं) का / के नाम
- संपत्ति व्यौरा और भूखंड की स्थिति के विवरण के साथ मुख्य योजना
- भूखंड की लंबाई / चौड़ाई के साथ बिक्री / पट्टे / उप-पट्टे का प्रस्ताव किया क्षेत्रफल
- भूमि स्वामित्व के विवरण वाला '7 / 12' एक्सट्रैक्ट या इसके समकक्ष अर्थात् खतोनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी आदि और हक के विलेख अर्थात् बिक्री विलेख आदि विवरणों के रूप में संलग्न / प्रमाणित।
- पॉवर ऑफ अटार्नी धारक को पंजीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी।

दस्तावेजों / उपर्युक्त अपेक्षित विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार करने वाले योग्य होंगे।

नोट: तकनीकी निविदा को पृथक लिफाफे में रखा जाए और इस पर 'तकनीकी निविदा' लिखा जाए।

(B) वित्तीय निविदा: वित्तीय निविदा में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:

- प्रस्ताव बिक्री या पट्टे / उप-पट्टे या केवल बिक्री या पट्टे / उप-पट्टे के लिए है।
- बिक्री की अवस्था में अपेक्षित बिक्री राशि रुपयों में होनी।
- पट्टे / उप-पट्टे की अवस्था में, अपेक्षित मासिक पट्टा धाड़ा रुपयों में और पट्टे / उप-पट्टे की अवधि।

नोट: वित्तीय निविदा को पृथक लिफाफे में रखा जाए और विवरण के लिए विचारित होना चाहिए।

तकनीकी और वित्तीय दोनों निवादाओं को पृथक भुगतान किया जाए और उन्हें एक तीसरे लिफाफे में रखा जाए और विधिवत "— (लोकेशन का नाम) में भूमि के लिए प्रस्ताव" शीर्षांकित कर मुहरबंद किया जाए।

इच्छुक पार्टियाँ नीचे दर्शाये नियत तिथि और समय तक निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकती हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 1 से 8 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), आगरा मंडलीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, 65 / 2, संजय लेन्स, आगरा (उ.प्र.) पिन-282002

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 19 से 24 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), नोएडा मंडलीय कार्यालय, ओआईडीबी भवन, सी ब्लॉक, फिलिंग स्टेशन (खुदरा बिक्री), एनएच-23, नोएडा, गौतम बुद्धनगर (उ.प्र.) पिन-244102

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 19 से 24 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), नोएडा मंडलीय कार्यालय, ओआईडीबी भवन, सी ब्लॉक, फिलिंग स्टेशन (खुदरा बिक्री), एनएच-24, नोएडा बाबा दुर्गा (उ.प्र.) पिन-244102

उत्तराखण्ड राज्य के लिए क्रमांक 9 से 15 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), देहरादून मंडलीय कार्यालय, 25, नींबूवाला, गढ़ी कैंट, देहरादून (उत्तराखण्ड), पिन-248003

विविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17.08.2021 समय 17:00 बजे तक है। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। जमा प्रस्ताव अंतिम जमा करने की तिथि से 150 दिनों की अवधि के लिए वैद्य होंगे अंतवा बढ़ायी गई वह समय अंतिम जो आपसी सहमति से स्वीकृत हो, के लिए विधिमाला-य होने चाहिए।